



## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है; आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: \_\_\_\_\_  
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: \_\_\_\_\_  
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_
2. ग्राम का नाम: \_\_\_\_\_  
ग्राम पंचायत का नाम: \_\_\_\_\_ श्री कृष्णपुर  
ब्लॉक का नाम: \_\_\_\_\_ श्री कृष्णपुर  
जिला का नाम: \_\_\_\_\_ छत्तीसगढ़  
राज्य का नाम: \_\_\_\_\_ झुराधावा १६  
ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_ ३८२ - ७८२

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

### I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. इस समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) जनेशी कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्वास करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अपूर्त ..... घन्टे नियमित गुणवत्ता : बाले..... एस.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना  
हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृश्यत नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का \_\_\_\_ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

- पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्राम पंचायत रेखा स्वृद्धि समीक्षा विभाग श्री कृष्णपुर

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: \_\_\_\_\_ तसलीम ऊर्हमद

लिंग: \_\_\_\_\_ पुरुष

आयु: \_\_\_\_\_ ५४

	सदस्य का नाम	लिंग	आयु
(१)	तसलीम ऊर्हमद - अल्पक्ष	पुरुष	५४
(२)	हिंडलता सिंह - सदस्य	महिला	३६
(३)	श्रीमती चिमला ऊर्हमद - सदस्य	महिला	३८
(४)	शार्षा शमी - ,	महिला	३३
(५)	मधुबोला - "	महिला	३०
(६)	गो भनोपाल ऊर्हमद - सदस्य	पुरुष	३७

उमा सचिव  
मसूरी एकेडमी  
अमरोहा (उ०प्र०)

(७)	लंबुम लुम योहोत - सदस्य	महिला	३५
(८)	श्री योहोत सिंह - सदस्य	पुरुष	५७

(१) तुषार - सर्वेन्म

पु० - ३६

(२) श्री रोहित कुमार - सर्वेन्म

पु० - ३५

(३) श्रीगति पूर्ण रानी - सर्वेन्म

म० - ३७  
अनुबन्ध-X क

### III. सामान्य विवरण

6. 2011 की जनगणना के अनुसार :

जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
 पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

वर्तमान पंथायत/ आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
 पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

### 7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - तर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण - तर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मरवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

अनुच्छेद	उत्तर	उत्तर	उत्तर
गन्ना	✓	✓	✓
घान	✓	✓	✓
मक्का	✓	✓	✓
कपास	✓	✓	✓
गेहूँ	✓	✓	✓
अन्य	✓	✓	✓

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): \_\_\_\_\_

11. स्थलांकृति (समतल, ढलान, आदि): \_\_\_\_\_ समतल


### IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानविक्रण किया गया है? (हूँ / नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानविक्रण संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानविक्रण किया गया है? (हूँ / नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानविक्रण संलग्न करें)

क्र. सं.	सांवर्धनिक सम्पद का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (प्रेगार्ड)	क्या वर्षा जल संधारण संरचना उपलब्ध है? (सॉलर्स)	सोलर बॉर्ड की उपलब्धता है? (सॉलर्स)
1.	सूख	है	है	है
2.	आंगनवाड़ी	।।	।।	।।
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	।।	।।	।।
4.	ग्राम पंथायत भवन	।।	।।	।।
5.	अन्य	।।	।।	।।

उप संचिव  
मन्त्री एकेडमी  
अमरोहा (उ०प्र०)



### पानी की कुप्रे दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
 मरेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
 मरेशी कंचों की आवश्यक संख्या: \_\_\_\_\_  
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.

### पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/वाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,  
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:  
 17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।  
 18. पानी को आपूर्ति से सबधित आशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

### पानी की गुणवत्ता

20. फ़िल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_  
 21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_  
 22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत  
 का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

नाम	परीक्षण	मात्रा
गंदगी	दृश्य तुलना	4.0
पीएच	पहरी रंग तुलना	6.0-2.5
पूर्ण लवणता	ट्रिप्रीमेट्रिक विधि	6.00
पूर्ण क्षारीयता	ट्रिप्रीमेट्रिक विधि	2.50-4.50
प्रसारण	ट्रिप्रीमेट्रिक विधि	5.0
आमोनिया	दृश्य रंग तुलना	0.5
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	0.00
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	0.0
आयरन	दृश्य रंग तुलना	0.0-0.5
नाइट्रोट	दृश्य रंग तुलना	0.5
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	PAMO 1.0-1.5
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	PPBO 0.0 (-0.03)

### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संमायना है कि गाँव के कुछ ग्राम इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम	स्रोत की संख्या	आवादी
_____	_____	_____

उप सचिव  
प्रभुर्मी एकेडमी  
अमरोहा (उ०प्र०)

### स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मानसे में, क्या बोरपेल रिपोर्ट संरचना है? (हैं/नहीं)
25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

### गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): \_\_\_\_\_ के.एल.डी.

अलग-अलग सोइता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोइता गड्ढों की आवश्यकता है: \_\_\_\_\_

आवश्यक सामुदायिक सोइता गड्ढों की संख्या: \_\_\_\_\_

क्या अपरिषट तत्त्वावधि की आवश्यकता है? (हैं/नहीं): \_\_\_\_\_

यदि हैं, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: \_\_\_\_\_

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के क्षेत्र से अन्य उपायों के अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

### V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस क्षेत्री के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकन्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. जनिनिर्धारित जल स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक नुस्खांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: \_\_\_\_\_

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_

योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क: \_\_\_\_\_

प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूसर्य बसावट हो तो, अभिनिर्धारित


पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

### VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. योजना का नाम	कैन्फर्मेट्य जलकर्ता का नियम	समावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चंद्रहवां वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	पेयजल और स्वच्छता विभाग,	पेयादृ मैलेजमेंट, इंजेसिस्टम आदि।
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.वी.एम.जी)	जल शक्ति मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एस.आर.एम.)	ये-वाटर मैलेजमेंट-सोइता गड्ढे (व्यक्तिगत / समुदायिक), अपरिषट तत्त्वावधि आदि।
एस.वी.एम.आर.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एस.आर.एम.)

उपर संचित  
मान्सुरी एकेडमी  
जलरोहा (उत्तराखण्ड)



योजना का नाम	केन्द्रीय संसदीय कानून का विभाग	उत्तमाधित वित्तिविधियों जा ली गई विभिन्न विभागों का विभाग	प्रस्तुताधित
एकीकृत यात्रशेड प्रबंधन कार्यक्रम (अर्हडब्ल्यू.एम.पी.)	भूगोल संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ मृद्घि पुनर्वरण, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	विभाग
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
गट्टीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीकरण से जल की नियंत्रणी को कम करने के लिए कौशल, का परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, यांटरशेड विकास, आदि।	
क्षतिपूरक वनोन्करण क्रेब प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि स्कूलों में प्रेयज्ञ आपूर्ति का प्रावधान	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	जिता कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाद्विन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
समय शिक्षा आकांक्षी वित्त विधि	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	बड़े प्रमाणे पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिता खनिज विकास निधि (टी.एम.एफ.)	नीति आयोग	उत्तराखण्ड के पास उपलब्ध विवेकाद्विन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एस.ए.ए.टी.	राज्य	अतंगम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	सांस्कृतिकी और कार्यक्रम कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अतंगम अवसंरचना	
दलदाता प्रायोजक	राज्य		

उप सचिव  
मनसुश्री एकेडमी  
अमरोहा (उ०प्र०)

अध्यक्ष का हस्ताक्षर:

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_

## संपर्क स्थिरण

ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. दुष्टि
2. बीबनम
3. लभीपा
4. मालली देवी
5. मारा

उप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

*(सुनील  
2913123)*  
 ग्राम तसलीम अहमद  
 ग्राम— पंचायत भीकनपुर असदला  
 विह ० छजलैट (मुरदाबाद)

*उप सचिव  
मन्सुरी एकेन्द्र  
अमरेन्द्र*